महत्वपूर्ण एवं खास

बाइक की डिक्की से हजारों रुपए के दवा पार

रायपुर (आरएनएस)। मौदहापारा स्थित समवेत शिखर कॉम्पलेक्स पास बाइक के डिक्की में रखे हजारों रुपए के दवाई को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर मौदहापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी विदेश मांझी 28 वर्ष बीएसयूपी कालोनी सोनडोंगरी का रहने वाला है। बताया जाता है कि वह अपनी बाइक के डिक्की में 17249 रुपए का दवाई रखा था और बाइक को समवेत शिखर कॉम्पलेक्स के पार्किंग में खड़ी किया था। तभी अज्ञात चोर ने डिक्की में रखे दवाई को चोरी कर लिया। प्रार्थी की शिकायत पर मौदहापारा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सूने मकान से नकदी 20 हजार पार

रायपुर (आरएनएस)। केबीटी 12 फेस 3 कबीरनगर स्थित सूने मकान का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने नकदी 20 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुमित श्रीवास्तव 32 वर्ष केबीटी 12 फेस 3 कबीरनगर का रहने वाला है। बताया जाता है कि 25 अक्टूबर को प्रार्थी घर में ताला लगाकर कहीं गया था। तभी अज्ञात चोर ने उसके सूने मकान का ताला तोडक़र आलमारी में रखे नकदी 20 हजार रुपए व कुछ कागजात पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पैसे के लेन देन को लेकर युवक को पीटा

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम नकटा में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कमलेश यादव 31 वर्ष ग्राम नकटा का रहने वाला है। बताया जाता है कि आरोपी शुभम सिंह 23 वर्ष ने पैसे के लेन देन को लेकर प्रार्थी से गाली-गलौज कर डंडा से मारपीट कर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर मंदिरहसौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506 बी, 323 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अवैध शराब के साथ चार गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध शराब बेचते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 80 पाव अंग्रेजी व देशी शराब जब्त किया है। साथ ही बिक्री रकम 730 रुपए जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार सेजबहार पुलिस ने काठाडीह के पास अवैध शराब के साथ आरोपी छगन लाल साहू 40 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 16 पाव देशी शराब व बिक्री रकम 250 रुपए जब्त किया है। इसी तरह माना पुलिस ने 4 बटालियन के पास आरोपी मलिना मलिक 34 वर्ष के पास से 19 पाव अंग्रेजी शराब जब्त किया है। वहीं अभनपुर पुलिस ने ग्राम चंडी के पास आरोपी उमेश बंजारे से 21 पाव देशी शराब व बिक्री रकम 260 रुपए जब्त किया है। इसी तरह खरोरा पुलिस ने ग्राम कठिया में आरोपी टुकेन्द्र सोनी 40 वर्ष के पास से 24 पाव देशी शराब व बिक्री रकम 220 रुपए जब्त किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

जिले भर में वाहनों के जांच के साथ निगरानी कर रही फ्लाइंग स्क्वायड और स्थैतिक निगरानी दल

- अवैध सामग्री और शराब परिवहन पर निगरानी दल रखें कड़ी नजर-कलेक्टर गोयल
- अवैध परिवहन के मामलों पर कलेक्टर गोयल ने तत्काल कार्यवाही के दिए निर्देश
- कलेक्टर गोयल ने आरओ, एआरओ, एसएसटी, एफएसटी, लेखा टीम एवं व्यय निगरानी दल की ली समीक्षा बैठक

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के संबंध में आरओ, एआरओ, एसएसटी, एफएसटी, लेखा टीम एवं व्यय निगरानी दल की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर गोयल ने कहा कि निष्पक्ष निर्वाचन हेतु व्यय निगरानी महत्वपूर्ण हैं, ताकि सभी प्रत्याशियों को समान मौका मिले। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर गोयल ने निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के संबंध सभी संलग्न अधिकारियों से कहा कि प्रत्याशी के व्यय पर विशेष निगरानी होनी चाहिए, ताकि अवैधानिक रूप से शराब तस्करी, अवैध सामग्री वितरण को रोका जा सकें जिससे निर्वाचन प्रभावित न हो। उन्होंने फ्लाईंग स्क्वायड, स्थैतिक निगरानी दल को निर्देशित किया कि सभी वाहनों का निरीक्षण सुनिश्चित करते हुए, प्रचार वाहनों के अनुमति प्रति की जांच की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त लोकेशन से गुजरने वाले वाहनों का संपूर्ण डाटा रजिस्टर में संधारित होनी चाहिए। उन्होंने एफएसटी, एसएसटी को सड़कों के गली-मोहल्ले में भी निरीक्षण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पैसे के दुरुपयोग रोकने के लिए प्रत्याशियों के खर्चों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने आबकारी विभाग, रेलवे को ड्रग्स, शराब के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एफएसटी, एसएसटी अपनी सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए कार्यवाही करें।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि कपड़ा, ट्रैवल ट्रिप, सामग्री, सभा में पैसा का उपयोग हो सकता है, इस पर नजर रखी जाए। उन्होंने वीवीटी को वीडियो की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर आरओ को सूचना देने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन में किसी प्रकार के अनुचित गतिविधियां होने पर सी-विजिल में शिकायत करने को कहा। उन्होंने एफएसटी, एसएसटी को बल्क में आनी वाली चीजों का डेस्टिनेशन चेक करने एवं स्टार कैंपेनिंग के संबंध में जानकारी दी। बैठक में सभी आरओ को नोटिस निराकरण जैसे विभिन्न निर्वाचन कार्यो के संबंध में निर्देशित किए। कलेक्टर गोयल ने बैंक से होने वाले प्रतिदिन की निकासी संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश लीड बैंक आफिसर को दिए।

बैठक में जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त, समस्त एसडीएम, सहायक व्यय प्रेक्षक एवं एफएसटी एवं एसएसटी टीम के अधिकारी उपस्थित रहे।

छाल क्षेत्र के सक्रिय चार बदमाशों को लाया गया गुंडा सूची में, एसएसपी ने किया जारी आदेश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान में एक माह से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में एसएसपी सदानंद कुमार ने निर्देशन पर सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध रकम/वस्तुओं के परिवहन की सघन जांच एवं अवैध मादक पदार्थो की ब्रिकी, जुआ-सट्टा पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्षेत्र के गुंडा बदमाशों की गतिविधियों पर निगाह रखकर बदमाशों को प्रतिबंधित करने थाना प्रभारियों द्वारा एसएसपी को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा थाना क्षेत्र के 4 सक्रिय बदमाशों की फाईल एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल से अग्रेषित कराकर बदमाशों को गुण्डा सूची में लाने फाईल एसपी कार्यालय भेजा गया था जिनकी समीक्षा कर एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा 4 बदमाशों को गुण्डा सूची में लाये जाने का आदेश आज दिनांक 28.10.2023 को जारी किया गया है। ये बदमाश थाना छाल के ग्राम चन्द्रशेखरपुर ऐडू, बरभौना और सारसमाल के हैं। बदमाशों पर छाल पुलिस द्वारा समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। बावजूद इसके बदमाशों के क्रिया कलापों में कोई खास सुधार नहीं देखा गया, ऐसे में बदमाशों की नियमित जांच/चेकिंग की आवश्यकता पर एसएसपी रायगढ़ ने बदमाशों के नाम गुण्डा सूची में लाया गया है। थाना प्रभारी छाल को निर्देशित किया गया है कि यदि आगे भी बदमाश अपराधिक गतिविधियों में शामिल हो तो उनके खिलाफ नियमानुसार जिला बदर की कार्यवाही प्रक्रिया में लायी जावे।

आईटीआई कॉलोनी, सिंधी कॉलोनी और बोईरदादर में सट्टा पट्टी लिखते 6 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 6,660 रुपए नगद और सट्टा पट्टी जब्त

- अवैध शराब पर कार्यवाई के साथ सट्टा पट्टी लिखने वालों पर चक्रधरनगर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने चलाया संयुक्त अभियान

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन पर जिले में लगातार अवैध शराब पर कार्यवाही की जा रही है। बीते सप्ताह से थाना चक्रधरनगर क्षेत्र में चक्रधरनगर पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा अवैध शराब पर संयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

वहीं आज दोपहर एडिशनल एसपी संजय महादेवा व साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर चक्रधरनगर पुलिस और साइबर सेल की टीम द्वारा टीआई प्रशांत राव के नेतृत्व क्षेत्र में सट्टा-पट्टी लिखने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया गया जिसमें पुलिस टीम द्वारा आईटीआई कॉलोनी में- दिलेश्वर भारती और चंदन साहू को, बीएसएनल ऑफिस बेलादुला रोड सिंधी कॉलोनी पर विराट महंत और संकीर्तन पटेल को तथा बोईरदादर पर की गई कार्यवाही में आरोपी शाहरुख खान और शिवकुमार कुर्रे को सट्टा में लगी रकम और सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों पर थाना चक्रधरनगर में धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत 3 अलग-अलग अपराध दर्ज किये गये है। तीनों कार्यवाहियों में आरोपियों से कुल नगद रकम 6,660 रुपये, कैलकुलेटर, पेन और लाखों की सट्टा पट्टी की जप्ती की गई है।

थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर के नेतृत्व में सट्टा रेड कार्यवाही में उप निरीक्षक जी.एल. साहू, प्रधान आरक्षक सतीश पाठक, समुंद रनकर, रवि साय तथा साइबर सेल के राजेश पटेल, आरक्षक पुष्पेंद्र जाटवार, प्रशांत पंडा, महेश पंडा, नवीन शुक्ला, प्रताप बेहरा, नरेश रजत की अहम भूमिका रही है।

सट्टा पट्टी लिखते पकड़े गए आरोपी-

1- दिलेश्वर भारती पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर भारती उम्र 24 साल रामभांठा थाना कोतवाली रायगढ़

2- चंदन साहू पिता स्वर्गीय सिंधु राम साहू उम्र 34 साल केवडाबादी थाना कोतवाली रायगढ़

3- विराट महंत पिता प्रकाश महंत उम्र 24 साल बोईरदादर विनोबा नगर थाना चक्रधर नगर रायगढ़

4- संकीर्तन पटेल पिता देव आर्चन पटेल उम्र 32 साल निवासी मोदीनगर थाना चक्रधरनगर

5- शाहरुख खान पिता मुर्तुजा अली उम्र 21 साल निवासी बस स्टैंड मधुबन पारा थाना कोतवाली रायगढ़

6- शिवकुमार कुर्रे पिता गोकुल कुर्रे 25 साल निवासी लक्ष्मीपुर थाना कोतवाली रायगढ़

साइबर अवरनेस : पावरग्रिड घरघोड़ा और कुर्मापाली में साइबर सेल की टीम ने आयोजित की जागरूकता कार्यक्रम

- प्रशिक्षु डीएसपी अमन लखीसरानी ने साइबर अपराधों से बचाव हेतु बताए महत्वपूर्ण उपाए

रायगढ़। माह अक्टूबर देश में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन में साइबर सेल एवं थानों की टीम द्वारा समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को आनलाइन साइबर अपराधों की जानकारी देने व साइबर अपराधों के प्रति सजग करने का कार्य किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.10.2023 को प्रशिक्षु डीएसपी अमन लखीसरानी के साथ साइबर सेल की टीम द्वारा ग्राम कुर्मापाली कोतरारोड़ पावरग्रिड एवं घरघोड़ा पावरग्रिड जाकर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कार्यक्रम में पावरग्रिड के अधिकारी व कर्मचारियों को सायबर अपराधों के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

प्रशिक्षु डीएसपी अमन लखीसरानी एवं साइबर एक्सपर्ट प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह द्वारा पावरग्रिड के अधिकारी व कर्मचारियों को बताया गया कि फ्रॉड नये नये तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे है जिससे काफी पढे लिखे लोग भी ठगों के शिकार बन जाते हैं। डीएसपी अमन लखीसरानी ने बताये कि आज कल मोबाइल पर शेयर किए जा रहे फिशिंग टूल से बचे, ऑनलाइन खरीदी के समय विशेष सावधानी बरतें, किसी भी अंजान ईमेल, लिंक पर क्लिक ना करें और ना हीं अपने बैंकिंग व पर्सनल डिटेल फिलअप करें। यदि आवश्यक ना हो तो सार्वजनिक स्थानों पर अपने मोबाइल को यूएसबी चार्जर से चार्ज करने से बचें। हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ शेयरिंग के समय भी सावधानी बरतें। अपने ईमेल और UPI एप्स के सेफ्टी फीचर्स ऑन रखें, उनका पासवर्ड स्ट्रांग बनाए। अपने परिचितों को बतायें कि सोशल मीडिया पर जॉब या ईनामी प्रचार प्रस्तावों पर भरोसा न करें जो "बहुत अच्छे" लगते हैं। अंजान लोगों से दोस्ती, विडियो कॉलिंग नुकसान दायक हो सकता है। कार्यक्रम में बैंकिग फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे अपराधों पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 में कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस सहायता लेने बताया गया। दोनों जागरूकता कार्यक्रम में प्रशिक्षु डीएसपी अमन लखीसरानी सायबर, प्रधान आरक्षक दुर्गेश सिंह, आरक्षक विकास प्रधान और महिला आरक्षक मेनका चौहान मौजूद थी।

सारंगढ़ और बिलाईगढ़ विधानसभा के नामांकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर

- अभ्यर्थी निर्धारित समय में नामांकन पत्र प्राप्त और जमा कर सकते हैं

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र प्राप्त करने और जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है। जिले के दोनों विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। संबंधित वर्ग के अभ्यर्थी अमानत राशि पांच हजार रुपए जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं। कलेक्टोरेट सारंगढ़ में विधानसभा क्षेत्र 17-सारंगढ़ के लिए कक्ष कलेक्टर न्यायालय में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त और जमा किया जाएगा। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र 43-बिलाईगढ़ के लिए कक्ष न्यायालय अपर कलेक्टर में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त और जमा किया जाएगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार को प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। नाम वापसी 02 नवंबर 2023 गुरूवार को अपरान्ह 3 बजे तक किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में द्वितीय चरण में मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को और मतगणना 03 दिसंबर 2023 रविवार को निर्धारित है।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने ली नोडल अधिकारियों की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले के नोडल अधिकारियों की बैठक ली।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश की हैं कि सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, शौचालय, पंखा, मच्छरदानी, मच्छर अगरबत्ती आदि की व्यवस्था करें। इसके साथ साथ सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को नगरीय निकायों में और सीईओ जनपद पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मकान में होर्डिंग,पोस्टर आदि के सहमति आदि की जानकारी लेकर रिटर्निंग अधिकारी और व्यय प्रेक्षक को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। बैठक में वाहन व्यवस्था, एमसीएमसी, स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी), वीडियो निगरानी दल (वीएसटी), मतदान दलों के गठन, रवानगी और वापसी के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, उप निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा व डॉ स्निग्धा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर टी आर महेश्वरी, बी एक्का, नोडल अधिकारी पंचायत हरिशंकर चौहान, कोषालय अधिकारी चंद्रपाल सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आशीष बैनर्जी, खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव, विद्युत के प्रभारी अधिकारी नरेंद्र नायक, सीएमओ राजेश पांडेय, माजीद खान आदि उपस्थित थे।

वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं अपना मतदान केन्द्र और निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियां

- वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप डाउनलोड कर मतदाता जान सकते हैं अपने उम्मीदवारों के बारे में

रायपुर । तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए मतदान की तिथि नजदीक आ रही है। दो चरणों में हो रहे मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह है। ऐसे में मतदाता यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि मतदान के लिए उनका कौन सा केन्द्र है, उनका नाम किस भाग संख्या अथवा क्रमांक पर है। ऐसी प्राथमिक जानकारी सहित कई अन्य जानकारियाँ अब मोबाइल फोन पर ही देखी जा सकती हैं।

सुगम मतदान की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन एप्प एक उपयोगी एप्लीकेशन है जो आम मतदाताओं को उपयोगी जानकारी त्वरित गति से उपलब्ध कराने में कारगर साबित हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिशा में सतत प्रयास किया जाता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने से कोई भी मतदाता वंचित न रहे। आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप (Voter Helpline App) की शुरूआत इसी उद्देश्य से की गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि यह एक बहुउपयोगी एप है। यह एंड्रॉयड (Android) एवं आईओएस (iOS) दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इसमें मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डालकर बहुत ही आसानी से अपनी विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं।

वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र भी देखा जा सकता है। इसके जरिए मतगणना दिवस को विधानसभावार परिणाम की अधिकृत जानकारी भी देखी जा सकती है।

इस एप के माध्यम से निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है। मतदाताओं की जागरूकता के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) के संचालन संबंधी वीडियो भी देखे जा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480